<u>.न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश</u> <u>वर्ग—दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.</u>

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 1**7ए / 2016** संस्थित दिनांक 23.07.2014

 इंद्राबाई उम्र 29 वर्ष पित रमेश जाति महार निवासी ग्राम मोवाला तह० बैहर जिला बालाघाट म०प्र०

.....वादीगण

विरुद्ध

- 1. रामदयाल उम्र 56 वर्ष पिता बिरजलाल जाति महार साकिन मोवाला तह0 बैहर जिला बालाघाट म0प्र0
- सुदामा उम्र 45 वर्ष पिता बिरजलाल जाति महार साकिन मोवाला तह० बैहर जिला बालाघाट म0प्र0
- मथराबाई उम्र 60 वर्ष पित झनकलाल जाति महार साकिन पोण्डी तह0 परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0
- 4. सुमित्राबाई उम्र 65 वर्ष पति रूपलाल जाति महार साकिन मोवाला तह0 बैहर जिला बालाघाट म0प्र0
- सायत्राबाई उम्र 60 वर्ष पित सीताराम जाति महार सािकन लोरा तह० बिरसा जिला बालाघाट म०प्र०
- 6. कार्तिक गनेश पंगारे उम्र 22 वर्ष पिता श्री गनेश पंगारे जाति हिन्दू निवासी सी / 1, गूरू रामकृष्ण हाउसिंग सोसायटी पासान पूणे, तहसील व जिला पुणे (महाराष्ट्र) म.प्र.राज्य, द्वारा कलेक्टर महोदय बालाघाट म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

—:: दिनांक <u>24.09.2016</u> को घोषित ::-

- 1. वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त संपत्ति खसरा नम्बर 2/2 रकबा 4. 00 एकड़ तथा खसरा 2/5 रकबा 1.25 एकड़ स्थित ग्राम मोवाला प0ह0नं0 16 रा.नि.मं. बैहर जिला बालाघाट के संबंध में स्वामित्व ६ गोषणार्थ, अंशनिर्धारण कर कब्जा प्राप्ति तथा विक्रय पत्र दिनांक 10.06. 2014 को प्रभाव शून्य घोषित करने के संबंध में प्रस्तुत है।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 के नाम पर वादग्रस्त भूमि कुल 5.25 एकड़ ग्राम मोवाला तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित है तथा प्रतिवादी क्रमांक 06 द्वारा उक्त भूमि में से 4.65 एकड़ भूमि क्य किया है। वादी द्वारा पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 103अ/08 इंद्राबाई विरुद्ध मेनाबाई बगैरह प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है।
- 3. वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी एवं प्रतिवादी कमांक 01 से 05 आपस में सगे रिश्तेदार हैं। वादिनी प्रतिवादी कमांक 02 की पहली विवाहिता पत्नी कान्ताबाई से उत्पन्न प्रतिवादी कमांक 02 की

पुत्री है। प्रतिवादी क्रमांक 02 ने वादिनी की मां कान्ताबाई का परित्याग कर दिया है तथा बाद में कलाबाई को दूसरी पत्नी बनाये रखा है। जिससे प्रतिवादी क्रमांक 02 की कोई संतान नहीं है इस प्रकार वादिनी प्रतिवादी क्रमांक 02 की एक मात्र संतान है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 के नाम पर मौजा मोवाला प0ह0नं0 16 रा.नि.मं. बैहर जिला बालाघाट में खसरा नंबर 2/2 रकबा 4 एकड़ तथा खसरा नंम्बर 2/5 रकबा 1.25 एकड़ भूमि है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 की पैतृक संपत्ति है जो पूर्व में मूल पूरूष बृजलाल के नाम से राजस्व प्रलेख में दर्ज थी। जिसकी फौत होने के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 के नाम पर दर्ज हुई उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 की पैत्रिक संपत्ति है जिस पर वादिनी का भी हक है।

- 4. प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा पूर्व में ही वादिनी की मां सहित पृथक कर दिया गया था इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 वादिनी को उक्त वादग्रस्त भूमि के पैत्रिक हक से वंचित करने की नियत रखते हुए उक्त भूमि में से 4.65 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 06 को दिनांक 10. 06.2014 को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादीगण ने वादिनी को उसका अंश दिये बिना भूमि का विक्रय किया है जो कि वादिनी पर बंधन कारक न होकर शून्य घोषित किये जाने का कारण है। उभय पक्ष हिन्दू विधि से शासित होते हैं इसलिए वादिनी उक्त भूमि में से अपने पिता के 1/5 अंश में से 1/2 अंश प्राप्त करने की हकदार है।
- 5. प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी वादिनी को उसके पैत्रिक अंश से वंचित करने की बदनियत से भूमि को विक्रय करने कि चेष्टा की गयी जिसकी जानकारी होने पर वादिनी द्वारा न्यायालय मेंव्यवहार वाद 103अ / 08 चंद्रभागा उर्फ इंद्राबाई विरुद्ध मैनाबाई व अन्य हक ६ गोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था जिसके चलते दरमियान प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के बाहर राजीनामा कर वादिनी को उसका अंश देने का आश्वासन दिया गया था। जिस पर वादिनी वाद में उपस्थित नहीं हुई और उक्त वाद उसकी अदम पैरवी में खारिज हो गया है। तदउपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को उसका अंश नहीं दिया गया और बिना अंश दिये उक्त भूमि में से 4. 65 एकड़ भूमि रूपये अठारह लाख पैतीस हजार में प्रतिवादी क्रमांक 06 को विक्रय कर दी गयी। जिसकी जानकारी उसे दस्तावेज प्राप्त करने पर हुई। अतः वादग्रस्त संपत्ति में वादिनी के स्वामित्व की ध गोषणा कर पिता के 1/5 अंश में से 1/2 अंश अर्थात 1.05 एकड में से 0.52 एकड़ भूमि का अंश निर्धारण कर कब्जा प्राप्ति तथा विकय पत्र दिनांक 10.06.2014 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत है।
- 6. प्रतिवादी कमांक 01, 02 तथा 04 द्वारा प्रस्तुत जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी, प्रतिवादी कमांक 02 सुदामा की पुत्री नहीं है

अपित् कान्ताबाई द्वारा शिवचरण गजभिये से उत्पन्न पुत्री है जिसका जन्म ग्राम मोवाला में शिवचरण के घर में हुआ तथा उसकी सेवा जाप्ता, शादी विवाह, शिवचरण द्वारा ही किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 02 सुदामा ने कान्ताबाई से कभी कोई विवाह नहीं किया और न ही कान्ताबाई से संतान उत्पन्न हुई। पूर्व प्रस्तुत प्रकरण व्यवहार वाद कमांक 103अ / 08 के प्रचलन के दौरान यदि राजीनामा होता तो न्यायालय में प्रस्तृत किया जाता जबकि उक्त वाद अदम पैरवी में खारिज हुआ है। वादिनी उक्त प्रकरण को आदेश 23 नियम 3 सि.प्र. सं. के तहत वापिस लेती तथा आज भी उसे पूर्व प्रकरण को आदेश 9 नियम ९ सि.प्र.सं. के तहत चालू कर सकती है। विवादित भूमि प्रतिवादी कमांक 01 से 05 की हक की होकर उनके द्वारा हक का विधिवत उपयोग किया है। वादिनी चाहती तो उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए राजस्व न्यायालय में पूर्व में ही प्रकरण पेश कर सकती थी। वादिनी आज भी अपने पिता सीताचरण गजभिये के घर ग्राम मोवाला में निवास करती है। उसकी प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 से कोई रिश्तेदारी नहीं है। पूर्व वैमनस्यता के कारण प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए झुटा दावा पेश किया गया है जो कि अवधि बाध्य तथा तकनीकि कारणों से चलाने योग्य नहीं है।

- 7. प्रतिवादी कमांक 06 द्वारा प्रस्तुत जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी की मां कान्ताबाई का विवाह फागुलाल खोब्रागढे पिता मोहपत निवासी करेली के साथ हुआ था। जिसके बाद कांताबाई द्वारा अपने पति को छोडकर ग्राम मोवाला शिवचरण गजभिये से दूसरा विवाह कर लिया तथा उसी के साथ जीवन यापन कर रही है। वादिनी शिवचरण गजिभये की पुत्री है तथा शिवचरण द्वारा ही वादिनी का विवाह ग्राम भण्डारपुर के कालीचरण मेश्राम के साथ संपन्न किया है जिसमें शिवचरण ने पिता की हैसियत से स्वयं खर्च किया था। प्रतिवादी क्रमांक 02 की विवाहिता पत्नी कलाबाई है तथा दोनों वर्तमान में साथ ही जीवन यापन करते हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। प्रतिवादी कुमांक 06 द्वारा विवादित भूमि 4.65 एकड को सदभावना पूर्व वास्तविक राशि अदा किया है जिसका प्रभाव शून्य करने का वादिनी को कोई हक नहीं है। वादिनी को पूर्व वाद आदेश 9 नियम 9 सि.प्र. सं. के तहत चालू करना चाहिए। फलतः कानूनी बाध्यता तथा वादिनी का कोई हक नहीं होने के कारण वर्तमान वाद निरस्त किये जाने योग्य है।
- 8. उभय पक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्मित वादप्रश्न और उन पर साक्ष्य की विवेचना उपरांत निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष मेरे द्वारा अंकित किये गये हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:—

क 0 अवधारणीय प्रश्न निष्कर्ष

:--

	A A)	
1	क्या मौजा मोआला प०ह०नं० 16	'' प्रमाणित नहीं''
	रा.नि.मं. तहसील बैहर जिला	
	बालाघाट स्थित खसरा नंम्बर	
	2/2, 2/5 रकबा कमशः 1.619,	
	0.506 हेक्टेअर कुल 5.26	
	एकड़ / 2.125 हेक्टेअर भूमि वादी	
	की पैतृक भूमि होने से वादी को	
	प्रतिवादी कमांक 01 से 05 के	
	साथ स्वत्व प्राप्त हैं ?	
2	क्या उक्त विवादित भूमि में से 4.	''प्रमाणित नहीं''
	65 एकड़ भूमि का प्रतिवादी	
x.	🔊 कमांक—01 से 5 के द्वारा	
R	प्रतिवादी क्रमांक–6 के पक्ष में	
(3),	निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10.	
	06.14 वादी पर प्रभावशून्य है ?	
3	क्या क्या वाद पूर्व न्याय से	''प्रमाणित नहीं''
	बाधित है ?	(d sh)
4	सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय की कण्डिका
		'' 14' ' के अनुसार वाद खारिज।
		AIR MIKOI

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ण-

9. वादी इंद्राबाई ने अपने अभिवचनों और मौखिक परीक्षण, शपथ पत्र में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 103अ/08 चंद्रभागा उर्फ इंद्राबाई विरुद्ध मैनाबाई तथा अन्य हक घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जिसके चलते दरम्यान प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 द्वारा न्यायालय के बाहर राजीनामा कर वादी वादी को उसका अंश देने का आश्वासन दिया गया था। जिस पर विश्वास कर वाद में उपस्थित नहीं हुई और उक्त व्यवहार वाद उसकी अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज हो गया। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत तभी लागू होता है जब उस विषय को अंतिम रूप से सुना गया और विनिश्चित किया गया। वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज हो जाने पर उसका निर्णय पूर्व न्याय के रूप में लागू नहीं

होता है अपितु ऐसी स्थिति में नया वाद आदेश 9 नियम 9 सिं.प्र.सं. द्वारा वर्जित है। उभय पक्ष द्वारा पूर्व वाद के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। तथापि स्वयं वादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकृत किया गया है। फलत वाद पूर्व न्याय से बाधित नहीं है अपितु आदेश 9 नियम 9 सिं.प्र.सं. द्वारा वर्जित है। अतः वाद प्रश्न कमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 01

- 10. वादी इंद्राबाई (आ०सा०1) ने अपने वाद पत्र के अभिवचनों का समर्थन कर मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किये है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंम्बर 2/2 रकबा 4 एकड़ तथा खसरा नम्बर 2/5 रकबा 1.25 एकड़ मौजा मोआला प०ह०नं० 16 रा.नि.मं. बैहर जिला बालाघाट प्रतिवादी कमांक 01 की पैत्रिक संपत्ति है जो कि मूल पुरूष बिरजलाल के फौत होने के पश्चात उक्त प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई व प्रतिवादी कमांक 02 की पहली पत्नी कान्ताबाई की संतान हैं कान्ताबाई का प्रतिवादी कमांक 02 ने परित्याग कर बाद में कलाबाई को दूसरी पत्नी बनाकर रखा है जिससे उसकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार वह प्रतिवादी कमांक 02 सुदामा की एक मात्र संतान है। तथा वादग्रस्त संपत्ति उसकी तथा प्रतिवादी कमांक 01 से 05 की पैत्रिक संपत्ति होकर उसके हक की है। उक्त कथनों का समर्थन परदेशी (आ०सा०2) तथा लोधीसिंह (आ०सा०3) ने किया है।
- 11. प्रतिवादीगण ने यद्यपि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। तथापि अपने अभिवचनों में यह कथन किया है कि वादी ग्राम मोआला के शिवरचण गजिभये की पुत्री है। जिसकी शादी एवं अन्य संस्कार शिवरचण द्वारा ही किया गया है। तथा वर्तमान में भी शिवचरण के घर पर निवासी करती है। वादी प्रतिवादी कमांक 02 सुदामा की पुत्री नहीं है और न ही सुदामा के घर उसका जन्म हुआ है। वादी प्रतिवादीगण कमांक 01 से 05 की न तो खानदान की है और न ही उनकी उससे कोई रिश्तेदारी है। बादी साक्षियों द्वारा प्रति परीक्षण में प्रतिवादीगण के सुझाव को अस्वीकार किया है। इंद्राबाई (आठसाठा) ने अपने प्रतिपरीक्षण के यह स्वीकार किया है कि उसकी मां कांताबाई मोआला के शिवचरण गजिभये के साथ बतौर पत्नी निवास कर रही है। तथा उसका लालन पालन एवं विवाह संस्कार शिवचरण गजिभये द्वारा ही किया गया है। परंतु उक्त साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि वह सुदामा की पुत्री नहीं है। जिसका समर्थन परदेशी (आठसाठ2) तथा लोधीसिंह (आठसाठ3) ने किया है।
- 12. उक्त संबंध में वादी द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 42/87 कांताबाई व अन्य विरूद्ध सुदामा की आदेश पत्रिका दिनांक 26.05.1988 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी05 तथा प्रकरण में पेश राजीनामा आवेदन दिनांक 23.05. 1988 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी06 प्रस्तुत की है। जिसका अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि कांताबाई सुदामा की पत्नी है तथा वादी चंद्रभागा उर्फ इंद्राबाई, सुदामा की संतान है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज को चुनौती नहीं दिया है और न ही अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई

दस्तावेज प्रस्तुत किया है। फलतः इंद्राबाई, कान्ताबाई से ही उत्पन्न प्रतिवादी क्रमांक 02 सुदामा की संतान है। परंतु क्या वादग्रस्त संपत्ति पैत्रिक होकर वादी के हक की है इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। वादी ने अपने समर्थन में उक्त भूमि के खसरा वर्ष 2013—14 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी02 अधिकार अभिलेख 1954—55 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी03 तथा उक्त भूमि नक्शा की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी01 प्रस्तुत की है। वादी के अनुसार उक्त भूमि मूल पुरूष बिरजलाल के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज थे जो उसकी फौत होने के पश्चात प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 के नाम पर दर्ज है। परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तृत नहीं है जिससे यह दर्शित हो सके कि बिरजलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 को प्राप्त हुई वादी साक्षियों द्वारा उक्त भूमि के पैत्रिक होने के संबंध में मौखिक कथन किये हैं। परिवार के सदस्य के संयुक्त नाम में होने मात्र से पैत्रिक संपत्ति की उपधारणा नहीं की जा सकती। अधिकारिक अभिलेख पंजी 1954—55 प्र.पी03 खसरा नम्बर 2/1 के संबंध में है। जिस पर उल्लेखित व्यक्तियों के संबंध में वादी पूर्णतः मौन है। वादी द्वारा न तो संयुक्त परिवार के संबंध में और न ही उक्त संपत्ति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तृत की है। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 के संयुक्त नाम पर होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त संपत्ति पैत्रिक है जिस पर वादी का भी हक है। अतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 02

इंद्राबाई (आ0सा01) के अनुसार प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 द्वारा पैत्रिक हक से वंचित करने की बदनियत से वादग्रस्त संपत्ति खसरा नम्बर 2/2 में से 3.40 एकड़ एवं खसरा नम्बर 2/5 रकबा 1.25 एकड़ भूमि को दिनांक 10.06.2014 के विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 06 को विक्रय कर दी है जो कि उस पर बंधन कारक न होकर प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। इस संबंध में उसके द्वारा विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी04 प्रस्तुत की है। प्रतिवादी क्रमांक 06 ने विक्रय को स्वीकार कर यह अभिवचन किया है कि उसने विवादित भूमि 4.65 एकड सद्भावना पूर्वक वास्तविक राशि अदा कर क्रय किया है। जिससे प्रभावशून्य घोषित करने का वादी को कोई हक नहीं है। विवेचना के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हक सिद्ध करने में असफल रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपभोग इच्छा अनुसार करने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की संपत्ति पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 06 को विक्रय की है। जिसको प्रभावशून्य घोषित किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः वाद प्रश्न क्रमांक ०२ का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 ।

- 14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रही है। परिणाम स्वरूप वाद खारिज किया जाता है।
- 15. वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।

16. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सारणी अनुसार जो भी न्यून हों अदा की जावे।

तद्नुसार डिकी तैयार की जावे।

दिनांक 24.09.2016

स्थान – बैहर म.प्र.

मेरे निर्देष पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.